न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 190/2025 अपील (GCMS 2023/196)
पंजीयन दिनांक- 11/09/2023
निर्णय दिनांक- 16/02/2026

1. श्री किशनलाल पिता उदयलाल भील, निवासी भगवांदा खुर्द, तहसील व जिला राजसमंद।

-अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती डाली बाई बेवा गंगाराम भील, निवासी तेजपुरा, तहसील व जिला राजसमंद।
2. श्रीमती कालीबाई पत्नि रामलाल भील, निवासी तेजपुरा, तहसील व जिला राजसमंद।
3. श्री मुकेश पिता रामलाल भील, निवासी तेजपुरा, तहसील व जिला राजसमंद। जरिये संरक्षक माता कालीबाई।
4. श्री किशन पिता रामलाल भील, निवासी तेजपुरा, तहसील व जिला राजसमंद। जरिये संरक्षक माता कालीबाई। (मृतक)
5. भावना पिता रामलाल भील, निवासी तेजपुरा, तहसील व जिला राजसमंद। जरिये संरक्षक माता कालीबाई।
6. ग्राम पंचायत एमड़ी, जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत एमड़ी, तहसील व जिला राजसमंद।

-रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः-

1. श्री शेषमल गाडरी	-	अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कमलेश चौहान	-	अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1
3. श्री पुष्कर लौहार	-	अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद, जिला राजसमंद के
प्रकरण संख्या 06/2016 निर्णय दिनांक 18.01.2017

<u>निर्णय</u>

दिनांक 16/02/2026

अपीलांट द्वारा यह अपील निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद, जिला राजसमंद के प्रकरण संख्या 06/2016 निर्णय दिनांक 18.01.2017 के विरूद्ध दिनांक 13.09.2017 को प्रार्थना पत्र बाबत अपील पेश करने की अनुमति (धारा 96), प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के यहां पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश दिनांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के अनुसरण में हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय में स्थानांतरित होने से दिनांक 11.09.2023 को दर्ज किया गया।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 से 5 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 व 6 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद, जिला राजसमंद के समक्ष अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामांतरकरण संख्या 481 निर्णय दिनांक 08.09.2016 ग्राम पंचायत एमडी, तहसील राजसमंद के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पुत्र व रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 के पिता रामलाल पिता गंगाराम की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि आराजी संख्या 594/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा राजस्व ग्राम नांदोली, पटवार हल्का एमड़ी, तहसील व जिला राजसमंद में स्थित है, जिसका विरासत का नामांतरकरण पटवार हल्का, एमड़ी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 श्रीमती कालीबाई को रामलाल का वारिस/उत्तराधिकारी बताते हुए उसके पक्ष में स्वीकृत कर दिया, जबकी रेस्पोडेंट संख्या 1 रामलाल की माता होकर विधिक वारिसान/ उत्तराधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामांतरकरण विधि के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। उपरोक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 06/2016 निर्णय दिनांक 18.01.2017 से रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 से 5 की अपील स्वीकार किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.01.2017 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया हैः- *"अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, एमड़ी के द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 481 दिनांक 08.09.2016 को निरस्त किया जाकर अपीलांट श्रीमती डालीबाई का नाम मृतक की माता के रूप में शामिल करते करते हुए नवीन नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई हैं।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शेषमल गाडरी उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्कर लौहार उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या संख्या 3, 5 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 13.02.2026 को सुनी गई।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 4 की मृत्यु होने से उसका नाम आदेशिका दिनांक 13.02.2026 से तर्क किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों का दौहराते हुए बताया कि रामलाल की मृत्यु के बाद रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अपने पारिवारकि खर्च एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 के भरण पोषण व शिक्षा-दिक्षा व अन्य युक्तियुक्त कार्यो में रूपयों की आवश्यकता होने से उपरोक्त भूमि अपीलांट को दिनांक 28.09.2016 से विक्रय कर प्रतिफल राशि रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा प्राप्त कर अपीलांट को कब्जा सिपुर्द किया गया। क्रय दिनांक से अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग-उपभोग कर रहा है। उक्त भूमि

के हस्तांकरण की जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 1 को प्रारंभ से ही थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलांट को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में मुख्य आधार हिन्दु उत्तराधिकार को बनाया गया है, जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 अनुसार अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं है। अनुसूचित जनजाति से विशेष विधि है और उस विशेष विधि के तहत ही उत्तराधिकारियों का निर्धारण किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 2 ग्राम पंचायत का सम्मन बाद तामील प्राप्त नही होना स्पष्ट है, फिर भी उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील पर डालीबाई के हस्ताक्षर भी मौजूद नहीं है तथा डालीबाई द्वारा कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया है, उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान करने के साथ ही अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाने तथा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 मृतक खातेदार रामलाल की माता थी और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम सुची की वारिस थी। पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण की सही जांच नहीं की गई थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 मृतक रामलाल की माता होने से नामांतरकरण संख्या 481 प्रारंभ से अवैध था, इस कारण उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 06/2018 निर्णय दिनांक 18.06.2018 से रेस्पोडेंट संख्या 1 की

अपील स्वीकार की है, जो उचित एवं नियमानुसार है। अतः उक्तानुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण सही एवं विधिसम्मत है, क्योंकि उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा मृतक रामलाल के विधिक वारिसान की जांच कर नामांतरकरण खोला गया था, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। अतः उक्तानुसार ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया नामांतरकरण संख्या 481 यथावत रखा जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 से 5 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 व 6 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद, जिला राजसमंद के समक्ष अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामांतरकरण संख्या 481 निर्णय दिनांक 08.09.2016 ग्राम पंचायत एमडी, तहसील राजसमंद के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पुत्र व रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 के पिता रामलाल पिता गंगाराम की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि राजस्व ग्राम नांदोली, पटवार हल्का एमड़ी, तहसील व जिला राजसमंद में आराजी संख्या 594/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसका विरासत का नामांतरकरण पटवार हल्का एमड़ी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 श्रीमती कालीबाई के पक्ष में भरकर उसे रामलाल का वारिस/उत्तराधिकारी बताते हुए नामांतरकरण उसके पक्ष में फैसल कर दिया, जबकी रेस्पोडेंट संख्या 1 रामलाल की माता होकर विधिक वारिसान उत्तराधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामांतरकरण विधि के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। उपरोक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 06/2016 निर्णय दिनांक 18.01.2017 से रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 से 5 की अपील स्वीकार किये जाने से अप्रसन्न

होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश की गई।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम पेश किया गया है। न्यायाहित में प्रार्थना पत्र धारा 96 एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तथा मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रृवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में नामांतरकरण संख्या 481 निर्णय दिनांक 08.09.2016 ग्राम पंचायत एमड़ी, तहसील व जिला राजसमंद के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती डालीबाई का नाम उक्त नामांतरकरण में अंकित नहीं था, जबकि प्रकरण में स्वीकृत स्थिति है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती डालीबाई मृतक खातेदार रामलाल की माता थी। हिन्दु विधि के अनुसार मृतक की माता प्रथम अनुसूची की वारिस होकर वर्णित नामांतरकरण की जांच में मृतक के वारिस के रूप में रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती डालीबाई नाम अंकित नहीं था। उक्त प्रकरण में पटवारी द्वारा विधि अनुसार वारिसान की जांच नहीं किया जाने से रेस्पोडेंट संख्या 1 के विधिक हक-अधिकार प्रभावित होकर उक्त भूमि में अपने हक-अधिकार से वंचित होना प्रमाणित है। उपरोक्त कानूनी परिप्रेक्ष्य में ऐना नामांतरकरण प्रांरभ से शून्य माना गया है।

इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा अपील में मुख्य उज्र यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में वर्णित आराजी का रेस्पोडेंट संख्या 2 श्रीमती कालीबाई द्वारा दिनांक 28.09.2016 को उसके पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नामांतरकरण की कार्यवाही 'सरसरी' कार्यवाही होती है जिसके आधार पर किसी के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं। अपीलांट को विक्रय पत्र के आधार पर अपने हक-अधिकार तय कराने बाबत् सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त आक्षेप/उज्र निराधार होकर स्वीकार्य योग्य नहीं है।

अपीलांट द्वारा एक अन्य उज्र यह प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामिली कार्यवाही नहीं की गई एवं न ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया।

उक्त आक्षेपों का न्यायालय हाजा द्वारा परिक्षण किया। हस्तगत प्रकरण में यदि यह मान भी लिया जावें कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश की कार्यवाही में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो भी अपीलांट को इस न्यायालय द्वारा, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की समस्त शक्तियां निहित है, सुनवाई का एवं गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने का समुचित अवसर दिया गया, परन्तु अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विनिश्चय के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अर्थात अपीलांट गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। जहां तक अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में अपनाई गई विधिक प्रक्रिया का प्रश्न है, पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) को ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी भी निर्णय (नामांतरकरण) में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि पाये जाने पर उसे प्रथम अपील सुनने का पूर्ण अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत, एमड़ी, तहसील व जिला राजसमंद के नामांतरकरण संख्या 481 निर्णय दिनांक 08.09.2016 को निरस्त कर रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती डालीबाई का नाम मृतक की माता के रूप में शामिल करते हुए नवीन नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में कोई त्रुटि कारित की है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त आक्षेप निराधार होकर स्वीकार्य योग्य नहीं है।

जहां तक गुणावगुण पर प्रकरण पर विवेचन किये जाने का प्रश्न है, यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश में अंकित विनिश्चय का पूर्णतया समर्थन करता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 से 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर नामांतरकरण संख्या 481 निर्णय दिनांक 08.09.2016 को निरस्त कर उक्त नामांतरकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती डालीबाई द्वारा मृतक रामलाल की

माता के रूप में नाम शामिल करने की दाद चाही गई थी, जो विधि अनुकुल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2017 को पारित किया, जिसमें यह न्यायालय कोई त्रुटि नहीं पाता है। **परिणामतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद, जिला राजसमंद का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.01.2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावें। अपीलांट अपने हक-अधिकार तय कराने बाबत् सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर